

अग्रिम कर AY 2017-18 Advance Tax

अग्रिम कर (धारा 208, 209 और 211)

अग्रिम कर (Advance Tax) हर मामले में देय है जहां एक निर्धारिती (assessee) द्वारा देय कर (Tax) की राशि Rs.10,000/- या उससे अधिक है। निर्धारण वर्ष (A.Y.) 2017-18 के लिए अग्रिम कर के भुगतान सम्बंधित किस्त एवं देय तिथि निम्न प्रकार है :

कंपनी के अलावा (Advance Tax Liability for Assessee other than Companies i.e. Individual, HUF, P. Firm, AOP)

नियत तारीख (Due Date)	देय किस्त (Installment)
15 सितम्बर 2016	अग्रिम कर का कम से कम 30%
15 दिसम्बर 2016	अग्रिम कर का कम से कम 60% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये)
15 मार्च 2017	पूरा 100% अग्रिम कर (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये)

कंपनी के लिए (Advance Tax Liability for Assessee Companies)

नियत तारीख (Due Date)	देय किस्त (Installment)
15 जून 2016	अग्रिम कर का कम से कम 15%
15 सितम्बर 2016	अग्रिम कर का कम से कम 45% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये)
15 दिसम्बर 2016	अग्रिम कर का कम से कम 75% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये)

ध्यान दें

1. ऐसे assessee जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कोई व्यावसायिक आय नहीं है उन्हें अग्रिम कर जमा कराने से छूट है। इसके अलावा जिन assessee की आय section 44AD के तहत निर्धारित होती है उन पर भी अग्रिम कर लागू नहीं होता।
2. 31 मार्च से पहले पर या अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान किसी भी राशि भी उस दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान अग्रिम कर के रूप में माना जाएगा।
3. अग्रिम कर की देयता की गणना करते समय Chapter VIA (80C etc) के तहत कटौती स्वीकार्य हैं।
4. TDS निर्धारिता की कुल कर देयता से कम किया जा सकता है और फिर विनिर्दिष्ट प्रतिशत अग्रिम कर की गणना की जा है।

एडवांस टैक्स पर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)**अग्रिम कर क्या है और इसका भुगतान क्यों किया जाता है ?**

टैक्स दुनिया में किसी भी सरकार के लिए कोष का एक प्रमुख स्रोत है। भारत में आयकर अधिनियम, 1961 जिनकी आय है सीमा में छूट की सीमा से अधिक आय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि हर व्यक्ति के सामान्य प्रावधान के अनुसार। हालांकि तेजी से और कुशल कर संग्रह के लिए एक तंत्र के रूप में एडवांस टैक्स में सरकार द्वारा विकसित की है। एडवांस टैक्स वित्तीय वर्ष के अंत में जमा संपूर्ण राशि की बजाय किस्त में निर्धारिता द्वारा जमा किया जाता है, जिसमें एक भुगतान तंत्र है। कर देयता किस्तों में बांटा गया है, के रूप में देखने के लिए अग्रिम कर का निर्धारिता के बिंदु के लिए पंढ प्रबंधन के लिए उपयोगी है।

भारत में अग्रिम कर के भुगतान के लिए सविधिक प्रावधान क्या हैं?

एडवांस टैक्स के प्रावधानों के साथ जो सौदा आयकर अधिनियम 1961 के कुछ वर्गों में निम्नलिखित हैं :

- धारा 208: दायित्व की शर्तें अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए
- धारा 209: अग्रिम कर की संगणना

- धारा 210: अपनी मर्जी का निर्धारिती द्वारा या निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसार में अग्रिम कर का भुगतान।
- धारा 211: अग्रिम कर और की किस्त की नियत दिनांक।

भारत में अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है?

धारा 208 के अनुसार, अग्रिम कर निर्धारिती द्वारा देय इस तरह के कर की राशि दस हजार रुपये या उससे अधिक है, जहां हर मामले में एक वित्तीय वर्ष के दौरान देय होगा। इस प्रकार अग्रिम कर के प्रावधान सभी निर्धारिती जिनकी कर देयता 10,000/- रुपये से ज्यादा आती है पर लागू होता है। हालांकि इस मामले में निम्नलिखित मामले अग्रिम कर जमा करने की जरूरत नहीं है:

- 1) जहाँ पूरी कर देयता TDS के द्वारा कवर है अग्रिम कर लागू नहीं है।
- 2) ऐसे assessee जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कोई व्यावसायिक आय नहीं है उन्हें अग्रिम कर जमा कराने से छूट है। इसके अलावा जिन assessee की आय section 44AD के तहत निर्धारित होती है उन पर भी अग्रिम कर लागू नहीं होता।

भारत में अग्रिम कर भुगतान की तारीख और राशि क्या हैं ?

निर्धारिती के प्रकार	15 ^{वें} जून 2016	15 ^{वें} सितम्बर 2016	15 ^{वें} दिसंबर 2016	15 ^{वें} मार्च 2017
कंपनी निर्धारिती	15%	45%	75%	100%
कंपनियों के अलावा अन्य यानी व्यक्तिगत, HUF, P.Firm, AOP आदि	शून्य	30%	60%	100%

नोट: 31 मार्च 2017 तक टैक्स भुगतान भी अग्रिम कर के रूप में माना जायेगा।

क्या एक अनिवासी भारतीय (NRI) या एक अनिवासी (Non-Resident) को भारत में अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है ?

हाँ। वे भारत में वर्ष के दौरान किसी भी आय अर्जित की है, तो अग्रिम कर दोनों अनिवासी भारतीय (NRI) या एक अनिवासी (Non resident) पर लागू होता है।

अग्रिम कर के भुगतान का तरीका क्या हैं?

अग्रिम कर जाँच और इलेक्ट्रॉनिक मोड(डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड, नकदी के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अग्रिम कर के लिए निर्दिष्ट चालान ITNS 280 सभी नामित शाखाओं आयकर विभाग के साथ पैनल में शामिल बैंकों के अग्रिम कर स्वीकार कर रहे हैं। निर्धारित IN-NSDL वेबसाइट के माध्यम से अग्रिम कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

निर्धारित समय के भीतर अग्रिम कर जमा करने के लिए विफलता के मामले में दंडात्मक परिणाम क्या हैं?

अग्रिम कर भुगतान नहीं किया है या भुगतान अग्रिम कर की राशि मूल्यांकन कर की कम से कम 90% है, तो निर्धारित जमा की तिथि तक निर्धारण वर्ष के 1 दिन से 1% बजे यू @ / एस 234B साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा टैक्स और ब्याज। अग्रिम कर के भुगतान से परे टाल दिया जाता है, तो इसके अलावा यू / एस 234C नियत दिनांक जहां यह हो जाएगा, 3 महीने की अवधि के लिए ब्याज @ 1% बजे, 15 मार्च की अंतिम किस्त के लिए छोड़कर मोहलत के लिए देय होगा एक महीने के लिए 1%।

कैसे अपने कर बयान और अन्य टैक्स क्रेडिट की स्थिति को सत्यापित निर्धारित कर सकते हैं?

उचित देखभाल के अग्रिम कर depositing से पहले पैन आकलन वर्ष के लिए सम्मान और टैक्स कोड के साथ लिया जाना चाहिए। निर्धारित उसकी अग्रिम कर निम्नलिखित लिंक के माध्यम से जमा स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं:

1. : No.26 के रूप में फॉर्म भुगतान करने के एक सप्ताह के भीतर फॉर्म 26 एस में परिलक्षित होगा deposited टैक्स की क्रेडिट।
2. एनएसडीएल ई-गवर्नेंस: चालान स्थिति जांच <https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html> जाकर ओल्टास आवेदन (एनएसडीएल) के माध्यम से किया जा सकता है।

आयकर विभाग इस मुद्दे को नोटिस अग्रिम कर के भुगतान के लिए निर्धारित को कर सकते हैं ?

हाँ अधिकारी एक आदेश यू पारित हो सकता आकलन / एस 210 (3) आयकर अधिनियम 1961 या संशोधित आदेश यू के / एस 210 (4) और मांग अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए निर्धारित की आवश्यकता होती है यू / एस 156 का नोटिस जारी करते हैं।

कृषि आय अग्रिम कर की गणना के लिए कुल आय में शामिल किया जाएगा या नहीं ?

हाँ नेट कृषि आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 209 (2) के मामले में अग्रिम कर की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना है।

कैसे अग्रिम कर देयता की गणना करने के लिए

निर्धारित अग्रिम कर के लिए कर देयता की गणना नीचे दी गई तालिका में दिया जाता है

व्यक्ति	मात्रा
वेतन से आय(नेट)	XXXXXX
हाउस प्रॉपर्टी से आय (नेट)	XXXXXX
मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ(नेट)	XXXXXX
पूंजीगत लाभ (नेट)	XXXXXX
अन्य स्रोतों से आय (नेट)	XXXXXX
सकल कुल आय	XXXXXX
कम : अध्याय छठी ए के तहत कटौती (80 यू के लिए यू / एस 80 सी))	(XXXXXX)
कुल आय (यानी, कर योग्य आय)	XXXXXX
कैसलागू दरों पर कुल आय पर	XXXXXX

कम : खंड 87A के तहत छूट	(XXXXXX)
टैक्स छूट के बाद दायित्व	XXXXXX
जोड़ें सरचार्ज	XXXXXX
टैक्स सरचार्ज के बाद दायित्व	XXXXXX
जोड़ें शिक्षा उपकर @ 2% अधिभार के बाद कर देयता पर	XXXXXX
जोड़ें माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1% @ अधिभार के बाद कर देयता पर	XXXXXX
टैक्स वर्ष के लिए दायित्व	XXXXXX
कम: टीडीएस	(XXXXXX)
टैक्स देय	XXXXXX
एडवांस टैक्स	(टैक्स से ऊपर) एक्स (विनिर्दिष्ट प्रतिशत यू / एस 211)